




9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे।

  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

अंचल जमिंदारी का कार्यालय वर्धमानपुर

बाद जमिलेख संख्या- 212 / 2018 (अनुच्छेद 4(क), B.L.R. Act, 1950)

मुद्रा

बनाम

शुभरीलाल अशुवाल  
का 0 लाडा ददा

क्रमांक 182

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पीजी-62 खेसरा नं०-1472 इकाई 5.83 एकड़ पर वर्ध जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
खता नं०-62 के पंजी-11 भाग के पृष्ठ पर वर्ध जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
हउ नं०-1472 के पृष्ठ पर वर्ध जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉर्नलेशन सहित प्रेषित किया है।

अतएव आप उक्त सवध में दिनांक 9/8/16 को समय-12:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि चंदोबरती से संबंधित दुरुकनामा पूर्वजर्ज जमींदारी द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निर्गत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत सवध  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य लेख सवधों को मूल प्रति/तक्यापि प्रति जां आपको उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हूँ, जे साथ जमींदारी के कर्तव्य प्रकंड में उगरे  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सन्द रहे कि अन्यथा कि स्थिति में सहज जाणना कि उक्त सवध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साध्यों के आधारे पर सन्तुष्टि निर्गत पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के सवध में युक्ति-युवा निर्गत होने हुए विभिन्नतर जमींदारी वर की जायेगी।

इने राखत ताकीद जाने।

तिथि- मुद्रा  
स्थान-

अंचल जमिंदारी  
वर्धमानपुर  
2/8/16

room C:\Users\HP\Desktop\dirindia\court case.docx

-Anun Kumar Mishra.

6.8.2016

जमिंदार नाशिला कीजा।  
—चौ० त्रप सफ महली  
06/8/16